न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

गुरदेव सिंह और अन्य, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य , — *प्रतिवादी*

1991 का C.W.P नंबर 18754

18 जनवरी, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-तकनीकी पदों के संबंध में वेतनमान में संशोधन --न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई प्रमाणपत्र के साथ मैट्रिक निर्धारित–पॉलिटेक्निक –तकनीकी पदों के विरुद्ध काम करने वाले याचिकाकर्ता-कुछ याचिकाकर्ताओं के पास आईटीआई प्रमाणपत्र/पॉलिटेक्निक नहीं है और कुछ के पास तो मैट्रिक की योग्यता भी नहीं है। क्या संशोधित वेतनमान का हकदार है - अभिनिर्णित, हां -नियम यह निर्धारित नहीं करता है कि आईटीआई के साथ मैट्रिक की योग्यता रखने वाले तकनीकी पद पर काम करने वाले कर्मचारी को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा- पदों और ग्रेड के वेतनमान संशोधित किए जाएंगे, न कि उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों के - याचिकाकर्ता पिछले 20 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति के समय पूरी तरह से योग्य थे और केवल गैर-मैट्रिक की भविष्य की भर्ती रोकी गई- याचिकाकर्ताओं की भर्ती के बाद निर्धारित योग्यता उनके पद धारण करने के अधिकार या संशोधित वेतनमान के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी - याचिकाएं स्वीकार की गईं, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्देश दिया गया ।

निर्णय दिया गया कि वेतन नियम, 1986 मद संख्या 40 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित वेतनमान विभिन्न तकनीकी पदों के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी तकनीकी पद पर कार्यरत है

जिसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक है, चाहे वह 750-940 के निचले वेतनमान में हो या 950 1500 रुपये सहित विभिन्न उच्च वेतनमान में 1200-2040 रूपये हो को संशोधित वेतनमान में रखा जाना है। नियम में यह नहीं बताया गया है कि केवल आईटीआई के साथ मैट्रिक की योग्यता रखने वाले तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारी को ही संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। पदों और ग्रेडों के वेतनमानों को संशोधित किया गया है, न कि उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों के। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी याचिकाकर्ता किसी न किसी तकनीकी पद पर काम कर रहे हैं पर और पांच अपुनरीक्षित वेतनमानों में से विभिन्न वेतनमानों में हैं और पिछले 20 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। । संशोधित वेतनमान के तहत समर्थन इस तर्क को और मजबूत करता है कि गैर-मैट्रिक की भविष्य की भर्ती रोक दी गई है, इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि पिछले गैर-मैट्रिक को उन पदों के खिलाफ भर्ती किया गया है जिनके लिए निर्धारित योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है। याचिकाकर्ताओं की विभिन्न पदों पर नियुक्ति के समय प्रतिवादियों ने भर्ती का कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का यह सामान्य मामला है कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति के समय वे पूरी तरह से योग्य थे। उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती के समय वे अयोग्य थे या उनके पास उनके द्वारा धारित पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं नहीं थीं। इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ताओं के पास अपनी भर्ती के समय पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता थी, तो बाद में निर्धारित कोई भी योग्यता उनके पद धारण करने के अधिकार या संशोधित वेतनमान के लिए उनकी पात्रता को इस

आधार पर प्रभावित नहीं करेगी कि उनके पास यह बाद में निर्धारित की गई योग्यता नहीं है।

(पैरा 7, 8 और 12)

इसके अलावा, यह माना गया कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और वेतन संशोधन नियमों 1986 की मद संख्या 40 की व्याख्या के मद्देनजर, यदि याचिकाकर्ता, तकनीकी पदों पर कार्यरत हैं तो उसे इस आधार पर कि वे नॉन-मैट्रिक हैं या आईटीआई है या नहीं या यहां तक कि उनके पास एक अलग ट्रेड का ट्रेड सर्टिफिकेट है उन्हें रुपये 1200-2040 के संशोधित वेतनमान से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

(पैरा 13)

जी पी सिंह, अधिवक्ता

मनोज चहल, अधिवक्ता

सुभाष अहुजा, अधिवक्ता

रवींद्र मलिक (रवी), अधिवक्ता

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली

(1) कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न होने के कारण, इन याचिकाओं पर विचार किया गया है और इस सामान्य आदेश द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता डब्ल्यू.पी।,डब्ल्यू.पी।।,फिटर आदि जैसे विभिन्न तकनीकी पदों पर पिछले 20 से 30 वर्षों से कार्यरत हैं। इन्हें अलग-अलग वेतनमान में रखा गया।वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य ने 1 जनवरी, 1986 से अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया। कर्मचारियों को रु. 400–600 रुऔर400-660रु वेतनमान में 1 जनवरी 1986 से 950- 1500 रु. वेतनमान में हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1986के तहत रखा गया।. कर्मचारियों और यहां तक कि कुछ सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न विसंगतियां बताई गईं। इस मुद्दे की आगे जांच की गई और वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 6/23/3.पी.आर. (एफडी)-88, दिनांक 23 अगस्त 1990 के वेतनमान को और संशोधित किया गया। विभिन्न वेतनमानों को मिला दिया गया और नया वेतनमान रु. 1200-2040, 1 मई 1990 से स्वीकृत किया गया था। संशोधित वेतनमान इस प्रकार है:--

सीनियर. विभाग का नाम मौजूदा वेतनमान का नाम संशोधित पैमाने नहीं।।- ।-1986 पर पोस्टहमें भुगतान करें. 1-5- 1990

.

मैंXxxx **कश्मीर \ एक्स \ एनःएक्स** 'XX ,XXXXNL

.

40. जनरल	750-- -9401200- -2040 (यह है
के बारे में सिफारिश की विभिन्न	775- -1025यह तय किया गया है
में तकनीकी पद वे विभाग	800 — 1150आगे भर्ती
जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक है	950-1400गैर-मैट्रिक होना
योग्यता निर्धारित	

मैसी के साथ है प्रमाण पत्र / Polvtechnic.	950-1500 रुकी.

(2) उपरोक्त संशोधन से, यह प्रतीत होता है कि 950-1500 रुपये सहित विभिन्न वेतनमान, विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों के संबंध में जिसके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई प्रमाणपत्र/पॉलिटेक्निक के साथ मैट्रिक है 1200-2040,रुपये में बदल दिए गए।। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि संशोधित वेतनमान के नीचे अंतिम कॉलम में गैर-मैट्रिक की आगे की भर्ती को रोकने के लिए एक नोट जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता तकनीकी पदों पर 1 जनवरी 1986 काम कर रहे हैं और 750-940, 775 1025, 800-1150, 950-1400 और 950---1500 रुपये के वेतनमान में थे। विभिन्न विभागों में विभिन्न ट्रेडों और तकनीकी पदों पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं को या तो 1200-2040 रुपये के संशोधित वेतनमान से वंचित कर दिया गया या शुरू में दिया गया लेकिन बाद में वापस ले लिया गया ।यह भी एक तथ्य है कि कुछ याचिकाकर्ताओं के पास आईटीआई प्रमाणपत्र/पॉलिटेक्निक नहीं है और उनमें से कुछ अंडर मैट्रिक हैं, जबकि कुछ के पास आईटीआई के साथ मैट्रिक की योग्यता है। ये सभी संशोधित वेतनमान रुपये 1200-2040 का दावा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि तकनीकी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी स्थिति और वेतनमान के बावजूद संशोधित वेतनमान दिया गया है भले ही उनके पास आईटीटी के साथ मैट्रिक की योग्यता है या नहीं। यह तर्क दिया गया है कि संशोधित नियमों के तहत एकमात्र आवश्यकता यह है कि उन्हें उन पदों पर काम करना चाहिए जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है। संक्षेप में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह है कि सभी याचिकाकर्ता उस पद पर कार्यरत हैं जहां निर्धारित

योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है और इस प्रकार वे योग्यता के बावजूद संशोधित वेतनमान के लाभ के हकदार हैं। उनके तर्क को और अधिक समर्थन देने के लिए संशोधित वेतनमान के तहत टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भविष्य में गैर-मैट्रिक की भर्ती बंद कर दी जाएगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि नियमों के तहत योग्यता को भविष्य में पद के खिलाफ भर्ती के लिए संशोधित वेतनमान देने के लिए आवश्यक बना दिया गया है और जो कर्मचारी पहले से ही उस पद के खिलाफ काम कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक,निर्धारित है उन्हें वेतनमान रु. 1200-2040 देना होगा भले ही कर्मचारी निर्धारित योग्यता रखता हो या नहीं।

(4) कुछ याचिकाओं में जवाब दाखिल किया जा चुका है। 1991 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14493 में दायर जवाब का हवाला देते हुए, श्री कुंडू, विद्वान अतिरिक्त ए.जी., हरियाणा ने तर्क दिया है कि कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं को 1200 2040,रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया था,हालाँकि, बाद में आयोजित बैठक में, लाभ वापस लेने का निर्णय लिया गया क्योंकि वे संशोधित वेतनमान के हकदार नहीं थे।यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यद्यपि उक्त रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता आईटीआई के साथ मैट्रिक पास थे, लेकिन वे जिस पद पर काम कर रहे थे, उससे भिन्न ट्रेडों में आईटीआई पास थे। उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता, जो डीजल मैकेनिक के पद पर काम कर रहा है, उसके पास वास्तव में मोटर मैकेनिक का आईटीआई प्रमाणपत्र है या यहां तक कि एक व्यक्ति, जो फिटर के रूप में काम कर रहा है, उसके पास एक अलग ट्रेड में प्रमाणपत्र है। अन्य रिट याचिकाओं में भी इसी तरह की दलीलें उठाई गई हैं। श्री कुंडू ने ऊपर उल्लिखित नियम 40 में किये गये संशोधन का भी उल्लेख किया है।यह संशोधन 26 जुलाई, 1991 को किया गया था और नियम 40-ए को 23 अगस्त, 1990 के सरकारी निर्देशों के अनुबंध ए में नियम 40 के बाद पेश किया गया है। नियम इस प्रकार है:---

सीनियर. विभाग का नाम मौजूदा वेतनमान का नाम संशोधित पैमाने नहीं - 1-1-1986 को पोस्टपे w.e.f 1-5- I 990

1

40. जनरल *स्वर*750-940 950-1400

(ए)। के बारे में सिफारिश की775-1025

विभिन्न 800-1150 में तकनीकी पद

जिसके लिए विभाग950-1400

न्यूनतम शैक्षिक

योग्यता निर्धारित

केवल I.T.I. प्रमाण पत्र/

पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा

मैट्रिक पर जोर दिए बिना.

.

उपरोक्त 1 मई, 1990 से प्रभावी होगा."

(5) यह कहा गया है कि संशोधित नियम के तहत जो कर्मचारी तकनीकी पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन नॉन-मैट्रिक हैं, उन्हें 950-1400 रुपये के वेतनमान में रखा जाना है।उन्होंने 1991 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15171 में 4 दिसंबर, 1991 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले (अनुलग्नक आर -1) का भी हवाला दिया है। उक्त निर्णय इस प्रकार है:- —

"प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था। रिटर्न दाखिल किया गया है। वकील को सुना गया।.

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि उच्च या तकनीकी योग्यता के आधार पर वेतनमान में अंतर नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, यह एक ही संवर्ग के कर्मचारियों के बीच

भेदभाव का प्रतीक है। हालाँकि हम पाते हैं कि रिटर्न के पैराग्राफ 6 के मद्देनजर, यह रुख उचित नहीं है। रिटर्न में यह स्टैंड लिया गया है कि 1200-2040 रुपये का पैमाना केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जो ऐसे तकनीकी पदों पर काम कर रहे हैं जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. का प्रमाणपत्र है। हमारी राय में, तकनीकी प्रशिक्षण सहित तकनीकी योग्यता के लिए उच्च वेतनमान का भुगतान पूरी तरह से उचित और स्वीकार्य है और भेदभाव के आधार पर इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

(6) उपरोक्त निर्णय के आधार पर, यह कहा गया है कि उच्च योग्यता के लिए उच्च वेतनमान का अनुदान केवल उन व्यक्तियों के लिए वैध है जो संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई के साथ मैट्रिक पास हैं, वे संशोधित वेतनमान के हकदार हैं, जबकि रिट याचिकाकर्ताओं में से, जिनके पास किसी भी योग्यता की कमी है और/या विभिन्न ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र है, वे संशोधित वेतनमान के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

(7) वेतन नियम, 1986 की मद संख्या 40 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित वेतनमान विभिन्न तकनीकी पदों के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है। किसी भी तकनीकी पद पर जिसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक है, चाहे वह 750-940 के निम्न वेतनमान में हो या 950-1500 रुपये सहित ऊपर उल्लिखित विभिन्न उच्च वेतनमान में हो , उसे 1200-2040रुपये के संशोधित वेतनमान में रखा जाना है। नियम में यह प्रावधान नहीं है कि तकनीकी पद पर कार्यरत केवल मैट्रिक के साथ तृतीय श्रेणी की योग्यता रखनेवाले कर्मचारी को ही संशोधित वेतनमान दिया जायेगा। पदों और ग्रेडों के वेतनमानों को संशोधित किया गया है, न कि उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों के। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी याचिकाकर्ता किसी न किसी तकनीकी पद पर कार्यरत हैं और पांच अपुनरीक्षित वेतनमानों में से अलग-अलग वेतनमान में हैं और पिछले 20 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। संशोधित वेतनमान के तहत समर्थन इस तर्क को और मजबूत करता है कि गैर-मैट्रिक की भविष्य की भर्ती रोक दी गई है, इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि अतीत में गैर-मैट्रिक को उन पदों के खिलाफ भर्ती किया गया है जिनके लिए निर्धारित योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है।

(8) प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं की विभिन्न पदों पर नियुक्ति के समय भर्ती का कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का यह सामान्य मामला है कि विभिन्न पदों पर उनकी नियुक्ति के समय वे पूर्णतः योग्य थे।प्रतिवादियों का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती के समय वे अयोग्य थे या उनके पास उनके द्वारा धारित पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं नहीं थीं। यही नियम और एक समान मुद्दा 1993 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10414 में इस न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था,

जिसका फैसला 2 सितंबर, 1994 को **लाभ सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1)** के रूप में हुआ था।उपरोक्त मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं के पास आईटीआई के साथ मैट्रिक की योग्यता थी, जबकि कुछ के पास केवल आईटीआई की योग्यता थी।वे हरियाणा राज्य में मेट के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 1200-2040रुपये के संशोधित वेतनमान का दावा इस आधार पर किया है कि वे तकनीकी पदों पर काम कर रहे हैं जिसके लिए आईटीटी के साथ मैट्रिक निर्धारित योग्यता है और इस प्रकार वे संशोधित वेतनमान के हकदार हैं। हालाँकि, राज्य सरकार ने दलील दी कि वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इसलिए उन्हें 750-940रुपये के वेतनमान में रखा है और संशोधित वेतनमान के हकदार नहीं हैं। यह देखा गया कि उन रिट याचिकाकर्ताओं की भर्ती के समय कोई वैधानिक नियम नहीं थे और उन्हें रोजगार कार्यालय से प्रायोजन के आधार पर भर्ती किया गया था और उनके पास विभाग द्वारा रोजगार कार्यालय को अधिसूचित योग्यताएं थीं। वे योग्यताएँ विभाग द्वारा जारी तकनीकी ज्ञापन में निर्धारित की गई थीं। कुछ मामलों में संशोधित वेतनमान दिए गए और वापस ले लिए गए। मुद्दे पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-

"7. विद्वान उप महाधिवक्ता यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि कार्यकारी अभियंता ने बिना किसी योग्यता के टी. मेट के पदों पर कैसे भर्ती कर ली। वास्तव में प्रतिवादियों द्वारा लिया गया रुख इस तथ्य से गलत साबित होता है कि विभाग द्वारा जारी स्थायी आदेश में टी. मेट्स के पद के लिए योग्यता संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. पास या संबंधित ट्रेड में तीन साल का अनुभव निर्धारित की गई है। इन योग्यताओं को तकनीकी मेमो नंबर 6/88 में शामिल अनुलग्नक डी में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें), हरियाणा में काम करने वाले वाहनों और अन्य मशीनरी के संचालन और रखरखाव के लिए नियम और निर्देश शामिल हैं। यह दस्तावेज़ हरियाणा

सरकार के अधिकार के तहत प्रकाशित किया गया है और इसलिए, इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं। मेरे लिए यह स्पष्ट है कि तकनीकी ज्ञापन संख्या 6/88 से जुड़े अनुबंध डी के आधार पर, विभाग ने टी. मेट्स के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित की हैं और ठीक इसी कारण से कार्यकारी अभियंता ने रोजगार कार्यालय को भेजी गई विभिन्न अधिसूचनाओं में इन योग्यताओं को शामिल किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को आई.टी.आई. की योग्यता के साथ भर्ती किया गया था और कुछ को मैट्रिक की योग्यता के साथ आई.टी.आई. ।"

8.परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं के वेतन में संशोधन की मांग करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस को अवैध घोषित किया जाता है और इसे रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के वेतनमान को संशोधित करने से रोका गया है।

(9) उपरोक्त निर्णय का पालन इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने **राज करण बनाम हरियाणा सरकार (2)** के मामले में किया, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:--

> "9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और पूरे विवाद पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमने पाया कि वर्तमान याचिका सफल होने की हकदार है। पक्षों के बीच यह स्वीकृत स्थिति है कि इस पद के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी, जब याचिकाकर्ता को इस पद पर नियुक्त किया गया था। फिर भी, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास आई.टी.आई. प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन की योग्यता थी और यह केवल उपरोक्त योग्यताओं के आधार पर था कि याचिकाकर्ता को वास्तव में एक तकनीकी मेट के रूप में मूल रूप से 1 अप्रैल, 1978 नियुक्त किया गया था। इसके बाद, कार्य प्रभार के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाओं को 1 जनवरी, 1987 से उपरोक्त पद पर नियमित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, जब याचिकाकर्ता को 1200-2040 रुपये का वेतनमान दिया गया था 1 मई 1990 से प्रभावी, नीतिगत निर्णय के अनुसार, तो उक्त लाभ अब केवल इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि तकनीकी मेट के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं थे।"

(10) इस न्यायालय की उपरोक्त डिवीजन बेंच के फैसले को विभिन्न एसएलपी/अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सभी एसएलपी/अपीलें दिनांक 31 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गईं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एन.सक्सेना बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति और अन्य (3)** के मामले में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"7. नियम का दूसरा अंग स्पष्ट रूप से उन सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था जिन्होंने वरिष्ठ और कनिष्ठ ड्राफ्टमैन के रूप में बिना किसी योग्यता के पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है।काफी लंबे समय तक प्राप्त किया गया अनुभव अपने आप में एक योग्यता है (**उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जे.पी. चौरसिया** मामले में अवलोकन देखें)। यह मानना अनुचित होगा कि इस पर्याप्त अनुभव के अलावा, किसी के पास पहले भाग के तहत निर्धारित डिप्लोमा योग्यता भी होनी चाहिए। नियम बनाने वाले प्राधिकारी का यह इरादा नहीं हो सकता है कि जिन व्यक्तियों को बिना किसी डिप्लोमा योग्यता के वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के रूप में नामित किया गया था, उन्हें आगे पदोन्नति के लिए ऐसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण संशोधित नियम और उसके उद्देश्य के अनुरूप और सुसंगत नहीं होगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधित नियम का दूसरा अंग बाकी हिस्सों से स्वतंत्र है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू में गलती की है।"

(11) एक और पहलू है कि भर्ती के समय योग्यता देखी जानी चाहिए। भर्ती के समय अपेक्षित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को वेतनमान के लाभ से वंचित

नहीं किया जा सकता है, यदि बाद के किसी भी चरण में योग्यता में संशोधन किया जाता है। **चंद्रप्रकाश माधवराव ददवा बनाम भारत सरकार** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1998(4) आरएसजे के रूप में रिपोर्ट की, ने इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया और निम्नानुसार आयोजित किया:--

> "47. इसे इसे संक्षेप में कहें तो, 1990 या 1998 में किए गए आवश्यक योग्यता में परिवर्तन या अब अपीलकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य पूर्वव्यापी रूप से डेटा प्रोसेसिंग सहायक के रूप में अपीलकर्ता की प्रारंभिक भर्ती को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और न ही उनकी पुष्टि को 1989 में प्रभावित कर सकते हैं। भर्ती योग्यताओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के लिए परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिससे कि भर्ती होने वालों को उन पदों पर उनके अधिकार से वंचित किया जा सके, जिन पर उन्हें भर्ती किया गया था और न ही यह उनकी पुष्टि को प्रभावित कर सकता है।

(12) इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ताओं के पास अपनी भर्ती के समय पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता थी, तो बाद में निर्धारित कोई भी योग्यता पद धारण करने के उनके अधिकार या संशोधित वेतनमान के लिए उनकी पात्रता को इस आधार पर प्रभावित नहीं करेगी कि वे बाद में निर्धारित योग्यता नहीं रखते।

(13) उपरोक्त निर्णयों के आलोक में और 1986 के वेतन पुनरीक्षण नियमों की मद संख्या 40 की व्याख्या के मद्देनजर, तकनीकी पदों पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर कि वे नॉन-मैट्रिक हैं या आईटीआई हैं या नहीं या यहां तक कि उनके पास एक अलग ट्रेड का ट्रेड सर्टिफिकेट है,1200-2040 रुपये के संशोधित

वेतनमान से वंचित नहीं किया जा सकता है। लाभ सिंह के निर्णय में उल्लेखित ज्ञापन संख्या 6/1988 के अनुसार व्यापार में तीन वर्ष का अनुभव भी आईटीआई के समकक्ष माना जाना था।

(14) तदनुसार, इन याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। उत्तरदाताओं को तकनीकी पदों पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षण तिथि यानि 1 मई 1990 से 1200-2040 रुपये का संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(15) इस निर्णय की प्रति प्रत्येक जुड़ी हुई फ़ाइल पर रखी जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा